फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम ...... बनाम ...... वगै.

केस संख्या– स्थाई निषेधाज्ञा ..09.. / 2016

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09/10/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हो नकल वाद सं0 159/2013 उपखण्ड अधिकारी सांगानेर पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 16.07.2021 की आदेशिका में जिस वाद का हवाला दिया गया है वह खारिज हो चुका है। व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसकी नकल है। अतः वादी अधिवक्ता ने वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु पुनः निवेदन किया। हमने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली का गहन अध्ययन कर पाया कि इस विवादग्रस्त भूमि बाबत व इन्हीं सहखातेदारों (समान पक्षकारों) के मध्य पूर्व में दावा 189/2012 उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में लंबित है। क्योंकि इन दोनों दावों में समान पक्षकार है व समान विषयवस्तु है व समान अनुतोष चाहा गया है। अतः यह दावा 09/2016 sec 10 cpc Res subjudice की श्रेणी में आता है, अतः इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। हमने पत्रावली का मनन कर पाया कि पूर्व में दायर वाद 189/2012 के दिये गये जवाब में वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस वाद 09/2016 के प्रतिवादी सं0 6 का इस विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा। परन्तु इस वाद में वादी ने यह तथ्य स्पष्ट नहीं किये। न्यायालय में वादी अधिवक्ता द्वारा वाद 189/2012 उपखण्ड अधिकारी सांगानेर की inquiry करने पर वादी अधिवक्ता ने कोई ओर वाद 159/2013 उपखण्ड अधिकारी सांगानेर की प्रति पेश कर निवेदन किया गया कि 189/2012 वाद खारिज हो चुका है। अतः यह वाद प्राथमिक डिक्री किया जाये। न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत 159/2013 वाद की प्रति देख कर पाया कि इसके पक्षकार, ग्राम इत्यादि कुछ भी समान नहीं है। अतः न्यायालय को Mislead करने के लिये वादी द्वारा यह गलत दस्तावेज पेश किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय उच्चतम न्यायालय 853 कुलदीप सिंह और पी.बी.सावंत जेजे सिविल अपील सं0 994 of 1972, D/-27-10-1993 SP Chengalvaraya Naidu (By LR's) V/S Jagannath (By LR's) में यह स्पष्ट किया है कि **"The courts of law are meant for imparting justice between the parties. One who comes to the court must come with clean hands. It can be said without hesitation that a person whose case is based on falsehood has no right to approach the court. He can be summarily thrown out at any stage of the litigation. A litigant, who approaches the court is bound to produce all the documents executed by him which are relevant to the litigation. If he with holds a vital document in order to gain advantage on the other side then he would be playing fraud on the court as well as on the opposite party."** वादी ने गलत दस्तावेज पेश किये, अतः ऐसी स्थिति में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:36:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible] वगै.

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– स्थाई निषेधाज्ञा ....09../2016

	न्यायालय सीपीसी धारा 151 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी द्वारा न्यायालय में **clean hands** से न आने के कारण व न्यायालय को **mislead** करने के कारण भी न्यायालय इस वाद को खारिज करने योग्य पाता है। अतः **Res subjudice** की श्रेणी में आने के कारण व वादी द्वारा न्यायालय को **mislead** करने के कारण **sec 151** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह वाद खारिज किया जाता है। अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:56:56 IST
Reason: SelfAttested